



फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक :- 23.10.2024

कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को वादी की जेब काटकर निकाले गये 5500/- रूपये के साथ गिरफ्तार किया गया ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा0 संजय सिंह व श्रीमान क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री अरुण कुमार के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना मोहम्मदाबाद पुलिस द्वारा दिनांक 22.10.2024 को थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 223/24 धारा 303(2)/317(2) BNS से सम्बन्धित 01 नफर अभि0 पिन्टू पुत्र वीरेन्द्र गिहार निवासी ग्राम महरपुर रावी थाना कमालगंज को वादी की जेब काटकर निकाले गये 5500/- रूपयों के सहित गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

पिन्टू पुत्र वीरेन्द्र गिहार निवासी ग्राम महरपुर रावी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ उम्र करीब 35 वर्ष

घटना का विवरण-

दिनांक 22.10.24 को वादी मुकदमा श्री सर्वेश कुमार पुत्र छोटेलाल निवासी ऊगरपुर गोंडा थाना मोहम्मदाबाद जो रोडवेज गाडी से मदनपुर से फतेहगढ़ निजी कार्य से जा रहे थे, के बगल में बैठे अभि० द्वारा वादी की जेब में रखे 5500/- रुपयें ब्लेड से वादी की जेब काटकर निकाल लिये जिसके क्रम में वादी द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना पर मु०अ०सं० 223/24 धारा 303(2)/317(2) BNS पंजीकृत किया गया।

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त ने पूछताछ पर जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि मै आज मैने अपने बगल में बैठे एक व्यक्ति की जेब काट ली थी। शेष सफाई अधिवक्ता के माध्यम से माननीय न्यायालय में देना बताया

बरामदगी का विवरण:-

वादी मुकदमा की जेब काटकर चुराये गये 5500/- रुपयें ।

अभियुक्त पिन्टू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु०अ०सं० 279/2023 धारा 147/323/452/504/506 आईपीसी थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़
2. मु०अ०सं० 441/2023 धारा 60 Ex Act कोतवाली छिबरामऊ जनपद कन्नौज
3. मु०अ०सं० 189/2024 धारा 60 Ex Act कोतवाली गुरसहायगंज जनपद कन्नौज
4. मु०अ०सं० 223/2024 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़
5. अन्य थानाजात से जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार/बरामद करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० सुरेश सिंह चाहर
2. का० विजेन्द्र कुमार

मीडिया सेल फतेहगढ़

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली फतेहगढ़

जनपद के टॉप-10 अपराधी को सजा

दि0- 22.10.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभि०गण 1. राममिस्टर पुत्र मोतीलाल निवासी हाल पता सिविल लाइन की मडैया थाना फतेहगढ़ जनपद फर्रु० 2. विजेन्द्र सिंह पुत्र शेरसिंह निवासी नगला बहादुर 3. गिरीश पुत्र कालका सिंह निवासी ढपरापुर थाना पाली जनपद हरदोई 4. अजीत सिंह पुत्र वेदराम निवासी दालमण्डी थाना फतेहगढ़ जिला फर्रु० मु०अ०सं०- 193/2004 वाद स०- 276/2004 धारा- 302,201 भा०द०वि० थाना फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभि०गण के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहरीर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 22.10.2024 को मा० न्याया० एडीजे-04 फर्रु० द्वारा अभि०गण को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



एडीजीसी - श्री कृष्णकुमार पाण्डेय



कोर्ट मोहरीर हे०का० अजय कुमार



पैरोकार हे०का० श्याम सिंह



Shot on OnePlus
By Radhe Radhe